न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी श्री **प्रमोद सीरवी** आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :- 30/2019

वादीगण

1. कानाराम पुत्र मिसराराम
2. मबूताराम पुत्र मिसराराम
   जाति माली निवासी सिवाना तहसील सिवाना जिला बाडमेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. कालूराम पुत्र पारसमल
2. चौथाराम पुत्र शंकरजी
3. जोगाराम पुत्र मांगीया
4. देमाराम पुत्र मांगीया
5. पारसमल पुत्र पेमाराम
6. भेराराम पुत्र मांगीया
7. लेहरों पत्नी मांगीया
8. शंकरराम पुत्र पेमाराम
   जति माली नवासी सिवाना तहसील सिवाना
9. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा कृषि विकास शाखा सिवाना
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना

दावा अधिकारों की घोषणा, रेकर्ड दुरुस्ती बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :-

1. **श्री पूनमचन्द्र रामदेव अधिवक्ता वादीगण**
2. **श्री कैलाशपुरी अधिवक्ता प्रतिवादी 1 ता 5**

-:: निर्णय ::-

दिनांक :- 06.12.2019

वादीगण ने यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,53,188 का पेश किया। प्रस्तुत वाद संक्षिप्त में इस प्रकार है कि खालसा राजस्व गांव सिवाना में खेत खसरा संख्या 537 रकबा 32-07 बीघा का मेहराबखां पुत्र उम्मेदख खां की खातेदारी का था। सन 1963 में समेलाजी के दोनों पुत्रों पेमाराम व मिश्राजी ने जो अलग अलग रहते थे ने मिलकर उपरोक्त खसरे की भूमि आधो आध हिस्से में खरीद कर भूमि का प्रतिफल दोनों भाईयों ने विकेता मेहराबखां को अदा किया। पेमाराम ने अपने आधे हिस्से में शंकर, पारसा, मांगीया का नाम स्नेहवस लिखवा दिया। वक्त खरीद शंकर, पारसा, मांगीया नाबालिग थे। उनके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं था कि वे भूमि खरीद सकें। आधे हिस्से मे मिश्राजी ने अपने अकेले का नाम खरीद दस्तावेज में लिखा दिया। जिसका नामान्तरण संख्या 183 पेमाजी, मांगीया, शंकर, पारसा व मिश्रा के नाम का भरा गया। दोनों खरीददार 1/2-1/2 हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त करते रहे तथा पक्षकारान के रहवासीय मकान भी इसी भूमि में बने हुए हैं। सिवाना खालसा गाव होने से दूसरी बार सैटलमेंट संवत् 2024 में हुआ तो पुराने खसरा नम्बर 537 रकबा 32-07 बीघा का नया खसरा नम्बर 772 रकबा 21-10 बीघा राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। करीबन 13-14 वर्ष पूर्व वादीगण के पिता ने अपने 1/2 हिस्से की भूमि पर संशय का आवरण छा जाने से मिसराजी ने एक राजस्व वाद संख्या 48/97 श्री सहायक कलक्टर कोर्ट बालोतरा में पेश किया। जिसमें पेमा, पारस, लेहरों ने अपना इकबाली जबाव पेश कर मिसराजी द्वारा दावे को स्वीकार किया, लेकिन दोनों पक्षों के मध्य राजीनामा

सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना

सहायक कलक्टर
(SDO) सिवाना

होने पर शंकर, पारस पिसरान पेमाजी, लेहरो बेवा मांगीया, जोगाराम पुत्र मांगीया ने मिसराजी का वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्सा मंजूर कर सहमति पत्र लिखकर दिया, जिसके विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 कथन करने से विबंधित हैं। राजीनामा हो जाने से वादीगण के पिता मिश्राजी ने पुनः दावा नया दावा लाने की स्वीकृति के साथ विड्रा कर दिया। राजस्व रेकर्ड पेमला, पारस, शंकर, मिसरा पिसरान समेला, जोगाराम, देमाराम, भेराराम पिसरान मांगीया, मुस्समात लेहरों बेवा मांगीया के खातेदार के कॉलम में खतौनी में गलत इन्द्राज कर दिया गया जिसको शुद्धि पत्र के जरिये खातेदारी में पेमा, पारस, शंकर पि0 समेला, जोगाराम, भेराराम पि0 मांगीया, मुसमात लेहरों बेवा मांगीया, मुसमात लेहरो बेवा मांगीया व कानाराम, भबूताराम पि. मिसरा दर्ज किया गया, लेकिन पक्षकारान के हिस्से दर्ज नहीं किये गये जबकि कानाराम, भबूताराम पि. मिसरा का 1/2 हिस्सा दर्ज नही किया गया जिससे विवाद यथावत रहा। इसलिये वादीगण द्वारा सही हिस्से अनुसार खातेदारी की घोषणा करवाकर रेकर्ड दुरूस्त करवाने तथा एवं बंटावाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद लाना आवश्यक होने से पेश किया गया।

वादीगण का वाद पत्र दिनांक 07.06.2019 को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सीपीसी का पेश कर निवेदन किया कि उक्त वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में सन 1997 में वादी के पिता मिसराराम द्वारा वाद पत्र पेश किया था जो राजस्व प्रकरण संख्या 48/1997 बअनवान मिश्राराम वनाम पेमाराम वगैरा दर्ज रजिस्टर का दिनांक 30.11.2099 को पूर्णरूप से निर्णित किया गया। अब मिसराराम के देहान्त के बाद उसी वादग्रस्त भूमि के समबन्ध में नया वाद हेतुक तैयार कर झूठा वादपत्र पेश किया जो रेज्यूडेकेटा से वाधित है। उक्त नया वाद पूर्व न्याय से वाधित है। अतः उक्त वाद Res judicata (पूर्व न्याय) से वाधित होने से खारिज फरमाया जावे।

हमने दोनों पक्षों की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया, सम्बनिधत विधि का अवलोकन अध्ययन किया, पत्रावली के संलग्न निर्णय वअनवान मिसरा बनाम पेमा राजस्व वाद संख्या 48/97 का अवलोकन अध्ययन किया गया। जिस भूमि के सम्बन्ध में वर्तमान वाद खसरा नम्बर 772 के सम्बन्ध में घोषणा का अनुतोष चाहा गया है उसी भूमि के सम्बन्ध में पूर्व वाद प्रस्तुत हुआ। पूर्व वाद दिनांक 30.11.1999 को गुणावगुण पर निर्णित हुआ जो पूर्व न्याय (Res judicata) का प्रभाव रखता है। अतः प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 का प्रार्थना पत्र धारा 11 सीपीसी का स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद पूर्व न्याय (Res judicata) के प्रभाव में होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 06.12.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

6/12/19

(प्रमोद सीरवी)
सहायक कलक्टर
(SDO) सिवाना।

डिगरी व मुकद्दमे इब्तदाई

(ओ. 20 रू. 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना

व इजलास **श्री प्रमोद सीरवी** आर.ए.एस.

वादीगण

1. कानाराम पुत्र मिसराराम
2. भवूताराम पुत्र मिसराराम

   जाति माली निवासी सिवाना तहसील सिवाना जिला बाडमेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. कालूराम पुत्र पारसमल
2. चौथाराम पुत्र शंकरजी
3. जोगाराम पुत्र मांगीया
4. देमाराम पुत्र मांगीया
5. पारसमल पुत्र पेमाराम
6. भेराराम पुत्र मांगीया
7. लेहरों पत्नी मांगीया
8. शंकरराम पुत्र पेमाराम

   जति माली नवासी सिवाना तहसील सिवाना

9. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा कृषि विकास शाखा सिवाना
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना

<u>दावा अधिकारों की घोषणा, रेकर्ड दुरूस्ती बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा</u>

प्रकरण संख्या 30/2019 निर्णय दिनांक : 06.12.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री पूनमचन्द रामदेव अधिवक्ता वादीगण व हाजरी कैलाशपुरी अधिवक्ता मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि जिस भूमि के सम्बन्ध में वर्तमान वाद खसरा नम्बर 772 के सम्बन्ध में घोषणा का अनुतोष चाहा गया है उसी भूमि के सम्बन्ध में पूर्व वाद प्रस्तुत हुआ। पूर्व वाद दिनांक 30.11.1999 को गुणावगुण पर निर्णित हुआ जो पूर्व न्याय (Res judicata) का प्रभाव रखता है। अतः प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 का प्रार्थना पत्र धारा 11 सीपीसी का स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद पूर्व न्याय (Res judicata) के प्रभाव में होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 06.12.2019 को जारी की गई।

(मुहर: कलेक्टर (S.D.O.) सिवाना)

(प्रमोद सीरवी)
सहायक कलक्टर
(S.D.O) सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Seervi
Date: 2019.12.13 12:42:18 IST
Reason: SelfAttested
Location: